राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2, सैक्टर 17,
पंचकूला।

अधिसूचना

क्र0रा0नि0आ0/4ई–III/2009/4016 दिनांकः 23.06.2009

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 163,164, 165 और 166 के साथ पठित हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 8,9,10,11 तथा नियम 12 के उप नियम (2) में दिये गये प्रावधानों अनुसार व हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 212 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा पचांयती राज अधिनियिम, 1994 की धारा 6(1) अनुसार पंच, सरपंच व सदस्य पंचायत समिति की मृत्यु, त्याग–पत्र, हटाये जाने अथवा अन्यथा कारणों से हुई आकस्मिक रिक्तियों को भरने हेतू उन सभी ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों (जो कि अनुलग्नक "ए" में वर्णित है) के सभी वार्डो कि मतदाता सूचियो को विधानसभा की मतदाता सूची जोकि 1.1.2009 को अर्हक तिथि मानकर दिनांक 22.1.2009 को प्रकाशित की गई है, के आधार पर तैयार/ संशोधित करने के निर्देश जारी किये जाते हैं।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगे यह भी निर्देश दिये जाते है कि हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 10 के उप नियम 4 के तहत दिनांक 22.2.2005 को प्रकाशित अन्तिम मतदाता सूची, (जिसमें कोई भी परिवर्धन एंव संशोधन किया गया हो, यदि कोई है) को उन ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों जिनका वर्णन अनुलग्नक "ए" में किया गया है, को निम्न तरीके व कार्यक्रम अनुसार तैयार/संशोंधित किया जायेः–

ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों (जिनका वर्णन अनुलग्नक "ए" में किया गया है) के सभी वार्डो की मतदाता सूचियों का प्रारूप, विधानसभा की मतदाता सूची (जिसका प्रकाशन दिनांक 22.1.2009 को किया गया है) में सम्मिलित किये गये नामों, जिनके नाम पंचायत मतदाता सूची में अभी तक सम्मिलित नहीं किये गयें हैं, को मौजूदा मतदाता सूची में 1.1.2009 को अर्हक तिथि मानते हुये सम्मिलित किया जाये। (नियम 8)	दिनांक 24.06.2009 से 27.06.2009 तक
अनुलग्नक "ए" में वर्णित ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों के सभी वार्डों की मतदाता सूचियों के प्रारूप पर दावें तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिए प्रकाशन करना। (नियम 9)	दिनांक 29.06.2009 प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
दावें व आपत्तियां प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 01.07.2009 प्रातः 10.00 बजे से 3.00 बजे तक
दावों तथा आपत्तियों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 10 के उप नियम (1) के तहत निपटान करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 04.07.2009
साईक्लोस्टाईल/फोटोप्रति/टाईप की हुई परिवर्धन सूची का विद्यमान मतदाता सूची के साथ अन्तिम प्रकाशन करना जिसका अर्थ जोड़े व काटे गये नामों की अनुपुरक परिवर्धन सूची को विद्यमान मतदाता सूची के साथ लगाना (नियम 10 का उप नियम 4)	09.07.2009

3. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगे निर्देश दिये जाते हैं कि मतदाता सूचियों का प्रारूप तैयार करने के लिए, नामों को मौजूदा मतदाता सूची में हाथ से व टाईप द्वारा जोड़ा जाना चाहिए। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस सम्बन्ध में मतदाता सूचियों के प्रारूप को प्रिंट नहीं किया जाना चाहिए।

4. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगे निर्देश दिये जाते हैं कि इस कार्य के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के पास मौजूद मतदाता सूची को उपयोग में लाया जाना चाहिए ओर इस कार्य के लिए कोई भी नई मतदाता सूची प्रिंट नहीं की जानी चाहिए यदि आवश्यक हो तो कुछ प्रतियां टाईप करवाई जा सकती है।

5. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगे यह निर्देश दिये जाते हैं कि विधानसभा की मतदाता सूची में अंकित मतदाता पहचान पत्र के क्रम संख्या को भी ग्राम पंचायत संस्थाओं के लिए तैयार की जा रही मतदाता सूची के कालम नम्बर 8 में सम्मिलित किया जायेगा।

7. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगे यह भी निर्देश दिये जाते है कि विधानसभा की मतदाता सूची जिसका प्रकाशन 22.01.2009 को किया गया है, के सम्बन्धित भाग की चार छायाप्रतियां व सी0डी0सम्बन्धित तहसीलदार/नायब तहसीलदार (चुनाव) से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।

8. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगे निर्देश दिये जाते हैं कि मतदाता सूची जिसको सभी ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों के वार्डों के प्रारम्भिक प्रकाशन के लिए तैयार किया गया है, का मिलान विधान सभा की मतदाता सूची जिसका प्रकाशन दिनांक 22.01.2009 को किया गया है, से कर लिया जाए तथा इसमें उन व्यक्तियों को शामिल न किया जाए जो कि मर चुके हैं, या उस क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं हैं या काफी समय से उस क्षेत्र में नहीं रह रहे हैं, केवल उन्ही व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची के प्रारुप में सम्मिलित किये जाये जिनके नाम विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में सम्मिलित हों । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिये कि जिन व्यक्तियों के नाम विधानसभा मतदाता सूची में सम्मिलित हैं, को मतदाता सूची के प्रारम्भिक प्रकाशन के समय नहीं छोड़ा गया है। जिस व्यक्ति ने दिनांक 1.1.2009 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने के लिए अर्हक होगा।

9. उपरोक्त कार्य की तैयारी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगे निर्देश दिये जाते हैं कि:-

(i) तैयार की गई मतदाता सूची के सम्बन्धित भाग की दो प्रतियां ग्राम सचिव को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में रखने के लिए, एक प्रति सम्बन्धित खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी को पंचायत समिति कार्यलय में रखने के लिए और एक प्रति जिला परिषद के कार्यालय में आम जनता के निःशुल्क निरीक्षण हेतू रखी जायेगी। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित भाग की मतदाता सूची तहसील, खण्ड चुनाव अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय के साथ-साथ जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में आम जनता के निःशुल्क निरीक्षण हेतू रखी जायेगी।

(ii) इस सन्दर्भ में नोटिस, सम्बन्धित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के कार्यालय ओर तहसील कार्यालय जिस खण्ड में ग्राम पड़ता हो और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय के नोटिस बोर्ड में लगा दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त एक दो प्रतियां सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के सहजदृश्य स्थानों में चस्पा की जायेगी।

(iii) दावों और आपत्तियों पर संक्षिप्त जांच करने उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी जो भी उचित समझे अपना निर्णय लिखित में दर्ज करेगा और आक्षेपकर्ता को मांगने पर उक्त की प्रति निःशुल्क तत्काल उपलब्ध करायेगा।

(iv) जिला निर्वाचन अधिकारी अपने निर्णय अनुसार मतदाता सूची का संशोधन करेगा।

(v) इस तरह से संशोधित की गई मतदाता सूची अन्तिम होगी ओर इसकी एक हस्ताक्षरित प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी अपने कार्यालय में रखेगा ओर दूसरी प्रति को जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में जमा करवायेगा। इसका

अन्तिम प्रकाशन उपरोक्त दी गई प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा।

(vi) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा जितना ज्यादा सम्भव हो उक्त का प्रचार ग्रामों में मुनियादी करवाकर, प्रैस विज्ञप्ति जारी करके और पर्चे जारी करके, दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करवाकर और इल्कैट्रानिक मिडिया द्वारा प्रचार करवाया जाये ।

(vii) मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया प्रत्येक स्तर पर पूरी होने उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) इसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा तथा स्वीकार या अस्वीकार किये गये दावे, आपत्तियों एंव शुद्धियों के सांख्यकीय आंकड़े भी राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग यह भी निर्देश देता है कि ग्राम पंचायत व पंचायत समितियों से सम्बन्धित मतदाता सूची जिसका अन्तिम प्रकाशन दिनांक 09.07.2009 को किया गया है, उसकी प्रति आयोग को भेजी जाये।

दिनांक, पंचकूला
22 जून,2009

चन्द्र सिंह
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
हरियाणा।

पृ0क्रमांकःरा0नि0आ0/4ई–।।।/2009/4016–60 दिनांकः 23.06.2009

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव तत्काल पालना हेतू प्रेषित की जाती हैः–

1. वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एंव पंचायत विभाग, चण्डीगढ़।
2. निदेशक, विकास एंव पंचायत, विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
3. निदेशक, लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
4. सभी उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) हरियाणा राज्य। उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे इस अधिसूचना की प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को भी प्रेषित करें।
5. सभी जिला विकास एंव पंचायत अधिकारी हरियाणा राज्य।

सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त,
हरियाणा।

पृ0 क्रमांकःरा0नि0आ0/4ई–।।।/2009/4061 दिनांकः 23.06.2009

इसकी एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, चण्डीगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वह अपने अधीनस्थ जिला निर्वाचन अधिकारी (चुनाव) को निर्देश दें कि विधानसभा की मतदाता सूची जिसका प्रकाशन दिनांक 22.01.2009 को किया गया है कि चार प्रतियां सी0डी0 सहित सम्बन्धित उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाते हुये आयोग को सूचित करें।

सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त,
हरियाणा।

पृ0 क्रमांकःरा0नि0आ0/4ई–।।।/2009/4062 दिनांकः 23.06.2009

इसकी एक प्रति नियंत्रक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़ को हरियाणा सरकार के गजट में प्रकाशन हेतू प्रेषित की जाती है।

सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त,
हरियाणा।